उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण
(ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन का अभिकरण)

**प्रथम तल, पंचायतीराज निदेशालय,
आई0टी0 पार्क के सामने, सहस्रधारा रोड, देहरादून.**
दूरभाष : 0135.2608125 फैक्स : 2608126
ई मेल : ut-urrda@pmgsy.nic.in.
urrda@yahoo.com.

पत्रांकः 1220 /एमओ1–03(iv) /यू0आर0आर0डी0ए0/2015 **दिनांक 01 अगस्त, 2015**

दिनांक 31.07.15 को मुख्य अभियन्ता, यू0आर0आर0डी0ए0, देहरादून की अध्यक्षता में आहूत बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 31.07.15 को यू0आर0आर0डी0ए0 कार्यालय में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा हेतु मुख्य अभियन्ता, यू0आर0आर0डी0ए0, देहरादून की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गयी, जिसकी उपस्थिति संलग्नक–1 पर प्रस्तुत है। मुख्य अभियन्ता द्वारा उपस्थित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही आरम्भ करने के निर्देश दिये गये। बैठक का कार्यवृत्त निम्नानुसार है–

एजेन्डा बिन्दु–1 : गुणवत्ता नियंत्रण हेतु Tier–I द्वारा किये गये निरीक्षणों के सम्बन्ध में – गुणवत्ता नियंत्रण हेतु I^st Tier द्वारा गत वर्ष में किये गये निरीक्षणों की समीक्षा की गयी तथा यह पाया कि I^st Tier द्वारा अत्यधिक कम निरीक्षण किये गये है तथा कतिपय पी0आई0यू0 द्वारा कोई भी निरीक्षण नही किया गया है। गत समीक्षा बैठकों एवं क्षेत्रीय भ्रमण में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पी0एम0जी0एस0वाई0 की सड़कों की गुणवत्ता के सम्बन्ध में अप्रसन्नता व्यक्त की गयी थी, जिसके क्रम में सभी पी0आई0यू0, वृत्त एवं क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं, जो I^st Tier से सम्बन्धित अधिकारी हैं, से गुणवत्ता नियंत्रण हेतु सघन निरीक्षण किये जाने हेतु अनुरोध किया गया था। इस हेतु एक फार्मेट निर्धारित कर सभी अधिकारियों को प्रेषित किया था तथा प्रत्येक माह निर्धारित फार्मेट पर निरीक्षण रिपोर्ट यू0आर0आर0डी0ए0 को प्रेषित किये जाने का अनुरोध किया गया था, परन्तु बड़े खेद का विषय है कि सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा इसे गम्भीरता से नही लिया गया, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गुणवत्ता नियंत्रण के अन्तर्गत I^st Tier के अधिकारियों द्वारा कोई रूचि नही ली जा रही है। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 सघन अनुश्रवण कर प्रत्येक माह की 10 तारीख तक गत माह में किये गये निरीक्षणों की सूचना यू0आर0आर0डी0ए0 को प्रेषित करें तथा प्रत्येक दशा में I^st Tier द्वारा कार्यो की गुणवत्ता को नियंत्रित किया जाये, अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

एजेन्डा बिन्दु–2 : Financial Closure की प्रगति – Financial Closure हेतु जून, 2015 तक 76 कार्य ऐसे हैं, जो भौतिक रूप से पूर्ण हो गये थे, परन्तु उनका Financial Closure अतिथि तक नही किया गया है। इन कार्यो में कुछ कार्य ऐसे है जो कई वर्ष पूर्व पूर्ण हो गये थे, परन्तु उनका Financial Closure नही किया गया है। इस सम्बन्ध में विस्तृत समीक्षा की गयी, जिसमें फेज – III से फेज – VIII तक के 34 कार्य हैं, जिन्हें प्रथम वरीयता पर एक माह के भीतर पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये हैं तथा इनका विवरण क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं को भी प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये।

एजेन्डा बिन्दु–3 : प्रतिकर गठन एवं वितरण की समीक्षा – मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पी0एम0जी0एस0वाई0 की गत बैठक दिनांक 16.06.15 में अवशेष 177 कार्यो के प्रतिकर गठन के सम्बन्ध में पी0आई0यू0वार लक्ष्य निर्धारित किये गये थे, जिसकी अन्तिम तिथि 31.07.15 थी। प्रतिकर के ये प्रस्ताव अभी तक यू0आर0आर0डी0ए0 को प्रेषित नही किये जाने पर मुख्य अभियन्ता द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा निर्देश दिये गये कि इस सम्बन्ध में सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता इसका अनुश्रवण कर वस्तुस्थिति से तत्काल यू0आर0आर0डी0ए0 को अवगत करायें ताकि मुख्य कार्यकारी अधिकारी की आगामी बैठक में इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जा सके।

एजेन्डा बिन्दु–4 : विश्व बैक पोषित एवं सामान्य पी0एम0जी0एस0वाई0 में स्वीकृत कार्यो की प्रगति – वर्ष 2015–16 हेतु पी0आई0यू0वार निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गयी, कुमॉऊ मण्डल की माह जून, 15 तक की वित्तीय प्रगति, निर्धारित लक्ष्य 20 प्रतिशत के सापेक्ष केवल 6 प्रतिशत है, जो अत्यन्त कम है। इसी प्रकार गढ़वाल मण्डल की प्रगति भी केवल 10 प्रतिशत है, जो निर्धारित लक्ष्य से काफी कम है।

इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता अपने स्तर पर इसका अनुश्रवण करें तथा आर0आर0पी0–2 एवं सामान्य पी0एम0जी0एस0वाई0 का पृथक–पृथक पी0आई0यू0 वार लक्ष्य निर्धारित कर इसकी सूचना तत्काल यू0आरआर0डी0ए0 को प्रेषित करें। वर्ष 2015–16 में 72 बसावटों को संयोजित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है। निर्देश दिये गये कि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता इसका भी अनुश्रवण कर पी0आई0यू0 वार संयोजित होने वाले बसावटों के नाम सहित मार्गवार विवरण भी शीघ्र प्रेषित करें।

एजेन्डा बिन्दु–5 : आर0आर0पी0 – 2 के अन्तर्गत प्रोक्योरमैन्ट की समीक्षा – आर0आर0पी0–2 के अन्तर्गत 298 कार्य स्वीकृत है, जिसके सापेक्ष 290 कार्य अवार्ड हो चुके है, 8 कार्य अवशेष हैं, जिसमे 2 कार्य निविदा आधिक्य की स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किये गये हैं तथा 6 कार्यों का Evaluation प्रगति पर है। निर्देश दिये गये कि इन कार्यों की निविदा प्रक्रिया शीघ्र अन्तिम कर इन्हें अवार्ड किया जाये।

एजेन्डा बिन्दु–6 : गुणवत्ता नियंत्रण– Tier–II एवं Tier–III की समीक्षा– Tier–II स्टेट क्वालिटी मॉनिटर्स द्वारा किये गये निरीक्षणों में 291 निरीक्षणों के सापेक्ष Action Taken Reports अवशेष है, जिसमें 41 कार्य ऐसे है जो पूर्ण हो गये है, परन्तु उनमें Action Taken Report प्रस्तुत नही की गयी है, यह अत्यन्त चिन्ता का विषय है। इसी प्रकार Tier–III नेशनल क्वालिटी मॉनिटर्स द्वारा किये गये निरीक्षणों में 51 निरीक्षण ऐसे है जिनकी Action Taken Reports प्रेषित नही की गयी हैं। निर्देश दिये गये कि इस सम्बन्ध में पी0आई0यू0वार पूर्ण विवरण तत्काल क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता को प्रेषित किया जाये तथा क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता इसका सघन अनुश्रवण कर Action Taken Reports सम्बन्धित पी0आई0यू0 से प्राप्त कर यू0आर0आर0डी0ए0 को प्रेषित करें।

एजेन्डा बिन्दु–7 : पूर्ण मार्गो के अनुरक्षण की समीक्षा : अनुरक्षण के सम्बन्ध में पत्रांक 440/एम–02/यू0आर0आर0डी0ए0/2015 दिनांक 21.05.15 के द्वारा समस्त अधीक्षण अभियन्ताओं को एन0आर0आर0डी0ए0 द्वारा निर्धारित **प्रारूप संख्या 12 एवं 13** तथा प्रत्येक माह अनुरक्षण हेतु किये जाने वाले कार्यो के आदेश एवं गत माह में किये गये अनुरक्षण के कार्यों को संकलित करने हेतु **प्रारूप एम 2** निर्धारित कर प्रेषित किया गया था, जिसकी प्रतिलिपि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं को प्रेषित की गयी थी तथा तत्पश्चात् पत्र संख्या 815 दिनांक 26.06.15 के द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सूचना क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं से प्रेषित किये जाने का अनुरोध किया था। इन निर्धारित प्रारूप पर किये जाने वाले कार्यो का विवरण प्रत्येक माह यू0आर0आर0डी0ए0 को प्रेषित किया जाना है, जिसके आधार पर अनुरक्षण हेतु किये गये कार्यो के भुगतान के लिए अथोराईजेशन सम्बन्धित पी0आई0यू0 को जारी किया जाना था। परन्तु बड़े खेद का विषय है कि इस वित्तीय वर्ष में 4 माह व्यतीत होने के उपरान्त भी वांछित विवरण निर्धारित प्रारूप पर किसी भी पी0आई0यू0 द्वारा प्रेषित नही किया गया। निर्देश दिये गये कि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता अनुरक्षण के कार्यो का अनुश्रवण कर वांछित सूचना निर्धारित प्रारूप पर यू0आर0आर0डी0ए0 को प्रेषित करें।

अन्त में, बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को धन्यवाद देकर बैठक का समापन किया गया।

ह0/-
(ए0के0 दिनकर)
मुख्य अभियन्ता

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पी0एम0जी0एस0वाई0 उत्तराखण्ड को अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून एवं कुमाँऊ क्षेत्र, अल्मोड़ा।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त, उत्तराखण्ड।
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पी0आई0यू0 (पी0एम0जी0एस0वाई0), उत्तराखण्ड।
5. बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण, यू0आर0आर0डी0ए0, देहरादून।

1.8.15
अधीक्षण अभियन्ता
यू0आर0आर0डी0ए0